स्वच्छ गंगा अभियान और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणरू दशा व दिशा

ऋतेश भारद्वाज

भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारतीय मनीषियों ने समूची ही प्रति ही क्याए सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। भारतीय संस्कृति में जन को भी देवता माना गया है। सरिताओं को जीवनदायिनी कहा गया हैए इसलिए प्राचीन संस्कृतियाँ नदियों के किनारे उपजी और पनपी। भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जुड़ा था। सन् 1972 में स्टोकहोम सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 48ए तथा 51ए ;जीद्ध जोड़े अनुच्छेद 48ए के तहत भारतीय संविधान राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वह ष्पर्यावरण की सुरक्षा उसमें सुधार सुनिश्चित करेंए तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करें।ष् अनुच्छेद 51ए ;जीद्ध नागरिकों से इस कर्तव्य की अपेक्षा करता है कि वे ष्प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्द्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें।ष् स्वतंत्रता के पश्चात् बढ़ते औद्योगिकरणए शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गईए जिसके चलते सरकार ने समय पर अनेक कानून व नियम बनाए जैसे . रिवर बोडर्स एक्ट 1956य जल ;प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रणद्ध अधिनियमए 1974य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण संबंधी कानून, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1995 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 इत्यादि।

भारत में पर्यावरण संबंधित उपरोक्त कानूनों का निर्माण उस समय किया गया था जब पर्यावरण प्रदूषण देश में इतना व्यापक नहीं था। अतः इनमें से अधिकांश कानून अपनी

उपयोगिता खो चुके हैं परन्तु अभी भी कुछ कानून व नियम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं।

भारत में स्वतंत्रता पश्चात् कई नई संस्थाओं का तेजी से विस्तार हुआ। सरकार के नए.नए उत्तरदायित्वों और कार्यों की जटिलताओं के कारण इन संस्थाओं का गठन आवश्यक थाए जिनमें सांविधानिक, सांविधिक, नियामकीय, अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ इत्यादि शामिल हैं का गठन किया गया है जिन्हें विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे - सत्ता की प्रकृति के आधार पर सलाहकारी आयोग नीति-निर्धारक आयोग एवं अधिशासी कृत्य वाले आयोग शामिल होते हैं। दूसरी ओर विधिक स्थिति के आधार पर संविधान द्वारा स्थापित निकाय, विशेष विधानों के तहत स्थापित आयोग एवं सरकारी प्रस्तावों के आधारों पर स्थापित आयोग शामिल किए जाते हैं।

प्रस्तुत लेख स्वच्छ गंगा अभियान से जुड़े हुए सरकारी व नागरिक समाज के प्रयासों के आंकलन के साथ.साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्वच्छ गंगा अभियान पर निगरानी का राजनीतिकए आर्थिक अवलोकन करता है। चूँकि प्रस्तुत लेख में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राधिकरण जैसे नियामक संस्था की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। नियामक निकाय एक सार्वजनिक प्राधिकरण होता है जो नियामकीय या पर्यवेक्षणीय क्षमता के तहत मानव गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों पर स्वायत्त प्राधिकरण हेतु उत्तरदायी होती है। एक स्वतंत्र नियामक एजेंसी है जो सरकार की अन्य शाखाओं या विभागों से स्वतंत्र होती है।

नियामक निकाय प्रायः सरकार की कार्यकारी शाखा का एक हिस्सा होती हैए या उन्हें विधि शाखा से दृष्टि लेकर कार्य करने का सांविधिक प्राधिकार होता है। उनके कृत्यों की आमतौर पर कानूनी समीक्षा हो सकती है। नियामक निकायों का गठन आमतौर पर मानकों

एवं सुरक्षा लागू करनेए या सार्वजनिक वस्तुओं के प्रयोग को देखने और वाणिज्य का नियमन करने के लिए किया जाता है।

नियामक निकाय प्रशासनिक कानून-विनियमन या कानून-निर्माण; नियमों को संहिताबद्ध एवं लागू करना और पर्यवेक्षण का विनियमन एवं आरोपण करना या लोगों के हित एवं लाभ का ध्यान रखना के क्षेत्र में कार्य करते हैं जैसे - प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इत्यादि।

हाल ही के वर्षों में एनजीटी अपने फैसलों की वजह से काफी चर्चा में है। वर्ष 2016 में दिल्ली में यमुना के किनारे हुए विश्व सांस्कृतिक महोत्सव पर दिया निर्णय हो या फिर दिल्ली में प्रदूषण का मामला या फिर गंगा सफाई का मुद्दा हो एनजीटी ने हर बार राष्ट्र पर्यावरण के हित में कड़ा रुख अपनाया है। ग्लोबल वार्मिंग की भूमण्डलीय चिंता के रूप में उभरने के साथ ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय काफी पहले से ही पर्यावरण संबंधी कई पेचीदा मामलों के निपटारे हेतु एक विशेष पर्यावरण आंदोलन के गठन पर जोर देता रहा था। सर्वोच्च न्यायालय की इन्हीं कोशिशों के बाद ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 भारतीय संसद में पेश हुआ और 18 अक्टूबर, 2010 को एनजीटी का गठन कर दिया गया। एनजीटी पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक व्यापक अधिकार प्राप्त भारत की पहली समर्पित अदालत है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि न्यूजीलैंड और आस्टेलिया के बादए भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ पर्यावरण से संबंधित एक विशेष अधिकरण की स्थापना की गई है। जो कि 1972 में रियो डि जिनेरियो में हुए पर्यावरण और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मे लिए गए निर्णय को भी पूरा करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इस अधिकरण के गठन के बाद विभिन्न हाईकोर्ट पर्यावरण से संबंधित मामले अब इस

प्राधिकरण के द्वारा निपटाए जा रहे हैं। भारत के दूर.दराज के हिस्सों में भी इस अधिनियम की पहुँच बनाने की दृष्टि से इस अधिकरण की बेंच चेन्नई, भोपाल, पुणे और कलकत्ता में स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया हैए जिसमें से चेन्नई और भोपाल के सर्किट बेंच में मामलों की सुनवाई प्रारम्भ हो चुकी है और हाल ही में कलकत्ता के सर्किट ब्रांच के रूप में राँची में इसकी एक शाखा स्थापित की जाएगी। इस प्राधिकरण के अंतर्गत जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करनाए प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षणए पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों की रक्षा के साथ.साथ किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और भारतीय नागरिक के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार जैसे मुद्दे आते हैं और एनजीटी में किसी भी विवाद को 6 महीने के भीतर सुलझाने की कोशिश की जाती है। इस अधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या माननीय हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के स्तर का होता है। इसके अतिरिक्त इसमें 10 या अधिकतम 20 की संख्या मे न्यायिक और इसी संख्या में विशेषज्ञ सदस्य नियुक्ति का प्रावधान है।

जहाँ तक सजा की बात है, इस अधिकरण के आदेशों का पालन नहीं करने पर 3 साल तक की जेल या 10 करोड़ रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि इस सजा के पश्चात् भी कोई व्यक्ति या संस्था इसके आदेश का उल्लंघन जारी रखता हैए तो उसे प्रतिदिन 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यदि को कम्पनीए अधिकरण के आदेशों का पालन नहीं करतीए तो उसे 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रतिदिन 1 लाख रुपये तक के दण्डित किया जा सकता है। अधिकरण के फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के भीतर इसके आदेश को सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौती दे सकता हैए लेकिन 2014 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि कुछ मुद्दों पर हाईकोर्ट पर एनजीटी के खिलाफ चुनौती को स्वीकार कर सकता है। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के कदमों की सराहना करते

हुए कहा था कि ये न्यायाधिकरण एक अहम सरकारी संस्था है, जो आम जनता की भलाई करना चाह रही है।

मानव सभ्यता अपने जीवन के लिए नदियों पर हमेशा निर्भर रही हैए चाहे वह नील नदी की सभ्यता होए या मिस्र की सभ्यता हो या सिन्धु घाटी के तट पर फली-फूली हड़प्पा संस्कृति की हो अथवा भारत के उत्तर के मैदान में गंगा-यमुना के तट पर विकसित होने वाली हमारी वर्तमान सभ्यता हो। हाल ही में न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के लिए पवित्र मानी जाने वाली वांगनुई नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिए जाने के पश्चात् उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2017 को दिए अपने एक अभूतपूर्व निर्णय में देश की दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना को ष्जीवित व्यक्तिष् का दर्जा देने का आदेश दिया। इसके बाद 31 मार्च, को प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए ष्गंगोत्री-यमुनोत्रीष् ग्लेशियरों के साथ.साथ उत्तराखंड में हवाए पानीए नदियोंए जल-स्रोतों और जंगलों को भी ष्जीवित व्यक्तिष् के बराबर दर्जा और मौलिक अधिकार देते हुए ष्नमामि गंगेष् परियोजना से जुड़े सभी विभागों को इनका ध्यान रखने का निर्देश दिया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को आधार बनायाए जिसमें कहा गया है कि सामाजिक विकास के लिए किसी संस्था या उपयोगी इकाई को न्यायिक या कानूनी व्यक्ति अथवा जीवित इकाई का दर्जा दिया जा सकता है। कोई भी इकाई जिसे यह दर्जा मिला होता हैए वह सामान्य व्यक्ति को प्राप्त सभी प्रकार के नियम.कानूनों से संचालित होता है।

गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3ए900 मी ऊँचाई पर स्थित गोमुख नामक हिमनद से निकलती है, जहाँ इसका स्थानीय नाम भागीरथी है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के पश्चात् ही यह गंगा कहलाती है। दो 2ए525 किमी लम्बी इस नदी का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है और इसके जल संग्रहण क्षेत्र का विस्तार भारत में लगभग 86 लाख वर्ग किमी है। भूमण्डलीय तापन की वजह से भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर पिछले दो शताब्दी से 15 मीण् प्रतिवर्ष की रफ्तार से

खिसक रहा थाए जो अब 35 मीण् की रफ्तार से पीछे हट रहा है और विशेष चिंता की बात यह है कि गंगोत्री की तरह ही इसके सहायक ग्लेशियर भृगुपंथ, चरक्तवन, चचतुरंगी और मेरु भी पीछे हट रहे हैं। उत्तराखंड की करीब 14 नदी घाटी परियोजनाओं में करीब 300 से भी अधिक छोटी.बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं जोकि भूकम्प के प्रति अतिसंवेदनशील जोन.5 में आता है। हरिद्वार में 60 मिलियन लीटर कचरा रोज निकलता है जबकि वहाँ स्थापित सरकारी संयंत्र की क्षमता महज 48 मिलियन लीटर रोज फिल्टर करने की है और इस तरह से 12 मिलियन लीटर कचरा रोजाना हरिद्वार से आगे मैदानी क्षेत्रों में बह जाता है। वर्ष 2013 में किए गए सर्वेक्षण यह बात निकलकर सामने आई कि केवल हरिद्वार और इसके इर्द.गिर्द कुल 234 टन कचरा निकलता है। हरिद्वार में हर साल गंगा को रोक कर सफाई की जाती है। दशहरे की रात गंगा कैद होती है फिर छोटी दीवाली तक पुनः अपने वेग से प्रवाहित होने लगती है। अर्थात् गंगा को करीब 15 दिन बंदी बनाकर उसकी सफाई की जाती है और इस दौरान 234 टन कचरा निकलता है।

गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण की क्षमता के लिए जानी जाती है और इस मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैंए जो जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता। इसके अतिरिक्तए गंगा नदी के जल में आॅक्सीजन को बनाए रखने की असाधारण क्षमता हैए लेकिन गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी के सीधा गंगा में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से गंभी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही पिछले 5 दशकों में गंगा द्वारा समुद्र मंे विसर्जित पानी की मात्रा में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है जिसके लिए उत्तराखंड में बन रहे अंधाधुंध बांध निर्माणों की भूमिका रही है। वर्ष 2007 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक हिमालय पर स्थित गंगा की जलापूर्ति करने वाले हिमनद के समाप्त हो जाने की आशंका है।

सन् 1975 में पहली बार गंगा के प्रदूषित होने की बात सामने आने पर संसद में एमण्एसण् कृष्णा द्वारा यह सवाल उठाया गयाए ष्गंगा प्रदूषण के बारे में सरकार को क्या जानकारी है और इसे रोकने के लिए क्या कर रही हैघ्ष् संसद में इस सवाल का जवाब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जब मांगा गया और वहाँ से टेलीग्राम आया तो भूचाल मच गया। इसके बाद गंगा प्रदूषण के बारे मंे चर्चा तेज हो गई। 21 जुलाईए 1981 को पहली बार संसद में इस बात को स्वीकार किया गया कि गंगा जल प्रदूषित हो रहा है। यदि इसे रोका न गया तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम होंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1984 में गंगा बेसिन सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट में गंगा के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई थीए जिसके आधार पर पहला गंगा एक्शन प्लान 1985 में अस्तित्व में आया। वांछित सफलता न मिल पाने पर 15 वर्ष पश्चात् वर्ष 2000 में इसे बंद कर दिया गया। इसी बीच अप्रैल 1993 में तीन और नदियों यमुनाए गोमती और दामोदर के साथ गंगा एक्शन प्लान.प्प् शुरु किया गया, जो 1995 में प्रभावी रूप ले सका। 1996 में इस योजना का राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में विलय कर दिया गया और फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथाॅरिटी का गठन किया गया। वर्ष 2011 में इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा का मिशन एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया। इन तमाम प्रयासों के बावजूद 2014 तक परिणाम लगभग नगण्य रहेए जिसे देखते हुए 2015 में गंगा सफाई की महत्त्वाकांक्षी योजना ष्नमामि गंगेष् के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। इससे पहले 30 सालों तक गंगा की सफाई पर करीब 4 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए थे। यदि तब गंगा की सफाई का मूलभूत काम सफलतापूर्वक किया गया होताए तो चुनौतियाँ इतनी व्यापक न होतीं।

वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा की सफाई को लेकर पर्यावरणविद् एमण्सीण् मेहता द्वारा वर्ष 1985 में दायर जनहित याचिका को नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के पास भेज दिया है। चीफ जस्टिस जेण्एसण् खेहर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा था कि ठोस कचरा औद्योगिक प्रदूषण के मसले पर चूंकि एनजीटी रोज सुनवाई कर रहा हैए

लिहाजा गंगा के प्रदूषण के अन्य कारकों के मसलों को भी एनजीटी द्वारा ही सुना जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने एनजीटी को हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो वह पुनः सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिकाकर्ता एनण्सी मेहता द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि एनजीटी इस मामले की सुनवाई कर रहा है लेकिन उसके पास अनुपालन तंत्र नहीं है। जवाब में पीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम के तहत आदेश का पालन न करने पर जुर्माने के साथ.साथ दण्ड का प्रावधान भी है। यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में 32 वर्ष पूर्व दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि लम्बे समय से यह मामला चल रहा है और हमारे लिए इस मसले पर साल.दर.साल निगरानी रखना संभव नहीं हैए ऐसे में तब जबकि एनजीटी इन मामलों को देख रहा है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 20 अगस्तए 2016 में गंगा को स्वच्छ बनाने की केन्द्र और यूपी सरकार की कथित कोशिशों का आंकलन करने के बाद कहा कि इनकी कोशिशों का नतीजा अब तक शून्य रहा है। एनजीटी ने दोनों में सरकारों की खिंचाई करते हुए हरिद्वार और कानपुर के बीच गंगा डाले जाने वाले औद्योगिक कचरे के बारे में रिपोर्ट मांगी थी और आदेशों का पालन नहीं किए जाने से नाराज एनजीटी ने सभी प्राधिकरणोंए केन्द्रीय मंत्रालय और यूपी सरकार को दो सप्ताह का अंतिम मौका भी दिया था और साथ ही यह चेतावनी भी दी थी कि ऐसा न होने पर संबंधित सचिवों पर 25.25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एनजीटी ने पर्यावरण और वनए जल संसाधनए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजेंसियों की गंगा को स्वच्छ बनाने को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाने पर कड़ी आलोचना की और उन्हें दो सप्ताह में अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा था। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि आप हमारे पास आते हैं और इशारा करते हैं कि समस्या बहुत गंभीर है। लेकिन समाधान क्या हैघ् दुर्भाग्यवश बार.बार निर्देशों के बाद रिकाईस में कुछ भी नहीं किया गया है। राज्य सरकार की संभवतः अलग

प्राथमिकता है। लेकिन हमारी एक ही प्राथमिकता है वह यह कि गंगा साफ हो और यह हम करके रहेंगे।

आज पर्यावरण को बचाने और दोषियों को दंडित करने के लिए सरकार और उसकी नीतियाँ और कानून शिथिल क्यों है और क्या सारा दारोमदार एनजीटी संस्थाओं पर आ गया हैघ् भारत में पर्यावरण की हिफाजत को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भूमिका ने आम लोगों को राहत दी है तो कुछ बुनियादी सवाल भी पैदा किए हैं। एनजीटी की सक्रियता का सबसे पहला उदाहरण उत्तराखंड में जून 2013 में आई विनाशकारी अतिवृष्टि और बाढ़ से जुड़ा हैए जिसमें श्रीनगर में अलकनंदा जल विद्युत परियोजना के नाम से जीण्वीण्केण् नाम की एक निजी कम्पनी बाँध बना रही थी। एनजीटी के पास जब ये मामला गया था तब इस निर्माणाधीन बाँध की वजह से नुकसान का आँकड़ा और दायरा बढ़ा था। इसमें कम्पनी अपना दोष मानने को तैयार नहीं थी। इसने एनजीटी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि आपदा दैवी नहीं हो सकती। इस आपदा के पीछे निर्माण की खामियाँ भी अवश्य थीं और कम्पनी को पीड़ितों को 9 करोड़ 26 लाख रुपये का मुआवजा 30 दिनों के भीतर देना होगा। इस मामले में पीड़ित स्थानीय ग्रामीण थे, बाढ़ में जिनके घर, परिजन, खेत-खलिहान और पशु बह गए थे। दूसरी सक्रियता के रूप में एनजीटी के पास वर्ष 2010 का मामला भी लम्बित थाए जिसमें डेल्टा मरीन शिपिंग कम्पनी का एक तेल जहाज मुम्बई के समुद्र में डूब गया थाए जिससे भारी मात्रा मंे तेल रिसाव होने से पारिस्थितिकीय नुकसान हुआ था। इस केस में एनजीटी ने कम्पनी को दोषी करार देते हुए उस पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कम्पनियों को कटघरे में लाने की इस वैधानिक सक्रियता ने पर्यावरण आंदोलन से जुड़े गंभीर लोगों को और संस्थाओं को बड़ी राहत और उम्मीद हासिल कराई है। एनजीटी के फैसलों से एक बात स्पष्ट होती है कि सरकारी लापरवाही कितनी गहरी पैठ कर गई है कि जो काम स्वयं सरकार को कर देने चाहिए थेए वह तब हो रहे हैं तब मामले पर्यावरण की इस अदालत के पास जा रहे हैं। इन फैसलों से यह बात भी स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदा के समय

पर्यावरण और पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान का खामियाजा अकेले सरकार भुगत लेती है और वह भी मानो इसके लिए सहर्ष खड़ी हुई है। राज्य केन्द्र से मदद की गुहार लगाता हैए राहत कोष बन जाते हैं और फिर जनता का पैसा ही इस काम में खर्च कर दिया जाता हैए जबकि निजी कम्पनियाँ पूरी आरामपरस्त बनी रहती है। एनजीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी ऐसे किसी नुकसान में अगर निर्माण निजी कम्पनी का होगा तो वह भी बराबर की जिम्मेदार होगी। आज देश के शीर्ष अदालतों में सिविल और फौजदारी मामले कई वर्षों से लम्बित हैं। पर्यावरण के संदर्भ में एनजीटी ने यह भार बेशक कम किया है।

बाँध विरोधी अभियानों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी और बाँध निर्माता कम्पनियों और बाँध बनाने को उतावली जान पड़ रही केन्द्र और राज्य की सरकारों को भी एकबारगी सोचना पड़ेगा विकास के नाम पर प्रकृति के साथ समझौता कर निर्माण का माडल जैसे चुपचाप अपना लिया गया है और जब कोई बहुत बड़ी त्रासदी घटती है तो मुनाफा कमाने वाली एजेंसियाँए ठेकेदारए सरकारी अमलाए पीछे हट जाता है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में 2 वर्ष पूर्व मार्च 2016 में देश की राजधानी में मृतप्रायः यमुना नदी के संवेदनशील कछार पर आर्ट आफ लिविंग का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हुआए जिसे लेकर एनजीटी को 5 करोड़ की गारंटी राशि हासिल करने में लम्बा वक्त लगा। इसी प्रकार एनजीटी ने 15 वर्ष पुरानी डीजल कारों को सड़कों से हटाने का फैसला लेकर सरकार और कार्पोरेट जगत में खलबली पैदा कर दी।

जिस प्रकार सरकार अपने राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को लागू करने की राह में मुश्किलें पैदा करने वाली संस्थाओं पर हमले कर रही हैए उसमें एनजीटी पर भी हमले हों तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। मई 2014 में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सत्ता के गलियारों मे यह चर्चा शुरु हुई कि एनजीटी के अधिकार कम किए जा सकते हैं जिस कानून के जरिए इसका गठन हुआ है उसमें किसी संशोधन की कोई प्रत्यक्ष कोशिश नहीं हुई। लेकिन वित्त अधिनियमए 2017 के जरिए यह काम करने की कोशिश की

गई। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए जो एनजीटी समेत सभी अभिकरणों पर लागू होंगे। इसके जरिए अभिकरणों में नियुक्तियों के लिए योग्यता और सेवा शर्त तय करने की बात की गई है। मौजूदा नियमों के तहत एनजीटी का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का कोई मौजूदा या सेवानिवृत्त जज हो सकता है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लेकिन इसे बदलकर कर यह किया जा रहा है कि जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता होगीए उसे एनजीटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। अर्थात् जिस वकील के पास उच्च न्यायालय में दस वर्ष काम करने का अनुभव होगाए वह भी एनजीटी का प्रमुख बन सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यही योग्यता है। अभी तक यह व्यवस्था है कि एनजीटी के सदस्यों का चयन सर्वोच्च न्यायालय के जज के अध्यक्षता वाली समिति करती है जबकि नए नियमों के मुताबिक यह काम अब सरकार करेगी। निश्चित तौर पर इसका दीर्घकालिक असर एनजीटी के निर्णयों पर दिखेगा क्योंकि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों वालों की संख्या घट जाएगी और साथ ही इसकी स्वतंत्रता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश मीडिया के समक्ष आकर सर्वोच्च न्यायपालिका की कार्यशैली में पारदर्शिता की कमी पर स्पष्ट बोल चुके हैंए ऐसे में एनजीटी के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले आघात पर निश्चित तौर पर पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। एनजीटी की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश ऐसे वक्त पर हो रही है कि जब इसने यह साबित किया है कि मोदी सरकार के पसंद की प्रमुख योजना ष्नमामि गंगेष् में यह अहम भूमिका निभा सकता है।

एनजीटी द्वारा स्वच्छ गंगा पर दिए गए दिशा-निर्देश

1 एनजीटी ने उत्तराखंडए उत्तर प्रदेशए बिहारए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली गंगा की सफाई के अभियान को नदी के चार चरणों में बांट दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके पहले चरण में गोमुख से हरिद्वार तक का क्षेत्र और पहले चरण के खण्ड.बी के रूप में

हरिद्वार से उन्नावए और उन्नाव से उत्तर प्रदेश की सीमा तक का क्षेत्र दूसरे चरण में शामिल किया और तीसरे चरण को उत्तर प्रदेश की सीमा से झारखण्ड की सीमा तक और चैथे चरण को झारखण्ड सीमा से बंगाल की खाड़ी तक बांटा है।

2 एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से गंगा और उसकी सहायक नदियों के पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देश बनाने को भी कहा है।

3 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 100 मीटर के दायरे को गैर-निर्माण क्षेत्र घोषित किया है और साथ ही नदी तट से 500 मीटर के दायरे में कचरा डालने पर जुर्माना लगाने जैसे कई निर्देश जारी किए हैं। जैसे . प्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में किसी भी प्रकार के कचरा डालने को 50 हजार रुपये पर्यावरण हर्जाना देना होगा।

4 एनजीटी ने कचरा निस्तरण संयंत्र के निर्माण और नालियों की सफाई के लिए सभी संबंधित विभागों से दो वर्ष के भीतर विभिन्न परियाजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

5 इस संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी जिम्मेदारी समझाते हुए चमड़े के कारखानों को 6 हफ्ते के भीतर जाजमऊ से उन्नाव के चमड़ा पार्कों या राज्यों द्वारा उचित समझे जा रहे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने को कहा है।

6 एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशा.निर्देश बनाने के लिए कहा है ताकि गंगा को धार्मिक क्रियाकलापों से होेने वाली गंदगी से बचाया जा सके।

7 एनजीटी ने यह भी कहा है कि शून्य तरल रिसाव और सहायक नदी की आॅनलाइन निगरानी की शर्त औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी आदेश दिया गया है कि गंभीर रूप से प्रदूषण फैला रही औद्योगिक इकाइयों की सूची अपनी वेबसाइटों पर डालें। एनजीटी ने गंगा में न्यूनतम बहाव जारी रखने का भी निर्देश दिया है।

8 इसके अलावा एनजीटी ने 543 पन्नों वाले अपने फैसले के पालन की निगरानी करने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए एक पर्यवेक्षक समिति का गठन किया। साथ ही इस समिति को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।

9 एनजीटी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि 7 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा अभी तक मैली है और एनजीटी ने विश्व बैंक से गंगा सफाई के लिए मिले 20 हजार करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए इसे खर्च करने में संयम बरतने को भी कहा।

जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण की रोकथाम करने में सक्षम हैं और ना ही उनके पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैंए जो इस ओर ध्यान दे सकें। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानूनों और अदालती आदेशों का पालन करने की इच्छाशक्ति कार्यपालिका में नहीं हैए जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही में दिल्ली में 65 हजार वृक्षों का काटा जाना देखा जा सकता हैए जिसे सिर्फ सरकारी आवास हेतु काटा जा रहा है और इसकी प्रतिपूर्ति भी ईमानदारी से नहीं की गई है। गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए आम जनता में भागीदारी और सम्मान की भावना का भाव हैए परंतु इस मुद्दे पर जनता से संवाद की कोई व्यवस्था नहीं हैए जो बुराइयाँ समाज और पर्यावरण से आई हैंए उसके निराकरण के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है और इसके साथ ही सरकार द्वारा इस पर पूर्ण ईमानदारी अपेक्षित है।